

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ () एफसीए/उवसंसी/2023-24/ 8739

दिनांक: 22-8-23

निमित्त:-

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
सीकर-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड,
अलवर, राजस्थान।

विषय:- CONSTRUCTION OF 765 KV D/C SIKAR-II- ALIGARH TRANSMISSION LINE, DISTRICT-SIKAR, JAIPUR & ALWAR (RAJASTHAN) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 COMMON POINT RAJASTHAN STATE BOUNDARY. TOTAL ROUTE LENGTH 180.946 KM.

(Online Proposal No.- FP/RJ/TRANS/144853/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023-जेपीआर दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023-जेपीआर दिनांक 10.08.2023 द्वारा 15.8321 Ha. (Sikar-0.2278 Ha.) वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति 1917 वृक्षों के पातन सहित प्रदान की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावे :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(1) की पालना में 1.00 है० वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि 3,36,000 /- (In Words Three Lakh Thirty six thousand rupees only) एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि 1,48,986 /- (In Words One Lakh Fourty Eight thousand Nine hundred Eighty Six rupees only) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(2) की पालना में एनपीवी राशि 0.2278 ha. x 9.5778 lac per ha. = 2,18,182 /- (In Words Two Lakh Eighteen thousand one hundred eighty two rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(4) की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या B(4) की पालना में वन भूमि पर खड़े 11 वृक्षों की कीमत राशि रुपये 28,104 /- (In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावे तथा पातन की जाने वाली वन सम्पदा का परिवहन यूजर एजेंसी स्वयं के खर्च से कर नजदीकी वन चौकी/रेंज/भंडार कार्यालय में पहुंचायेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में कुल राशि = 7,03,168/- (In Words Seven Lakh Three Thousand One hundred Sixty Eight rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान एवं शर्त संख्या B(4) की पालना में 28,104 /- (In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) रुपये जरिये डी.डी उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावें।

अतः शर्त संख्या A(3, 6), B (1 से 18 तक) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 10.08.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटेकिंग 05 प्रतियों एवं शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:- 22.8.23

क्रमांक एफ सम/ 8740 - 43

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर



❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 8857

दिनांक 18/8/2023

निमित्त,

वरि० महाप्रबंधक,

सीकर II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.-339, शांति कुँज स्कीम, अलवर, राजस्थान।

विषय:- प्रस्ताव "Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या-8बी-राज 018/2023-JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 (संलग्न) एवं कार्यालय प्रमुख (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 7113-16 दिनांक 11.08.2023 (संलग्न) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव " Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021" में 15.8321 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गयी थी। जिसके क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या-8बी-राज 018/2023-JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 के द्वारा उक्त प्रकरण में 15.8321 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2088 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009 and

revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.

3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in from of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation is as below:

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Jaipur	Kotputli	Buchera	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
Total					50.50

4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.

9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than this specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Specific Conditions:

1. The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.
2. State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
3. User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.
4. Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under Section-3A and 3B of the FCA, 1980

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this **In-principle / Stage-I** approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five (05) years**.

अतः उक्तानुसार दी गयी शर्तों की पूर्ति करते हुये निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी एन.पी.वी. की राशि, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि एवं औषधिय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि क्रमशः $(1,08,06,440.00 + 60,25,000.00 + 73,79,188.00) = 2,42,10,628.00/-$ अक्षरे दो करोड बयालीस लाख दस हजार छः सो अठ्ठाईस रुपये मात्र "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण" के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा कराने के उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। ताकि आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र.सं.	राशि लिये जाने का विवरण	प्रत्यावर्तित वन भूमि (है०)	एन.पी.वी. की दर (रुपये)	राशि (रुपये)
1	एन.पी.वी.	11.2828	9,57,780.00	1,08,06,440.00
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	-	-	60,25,000.00
3	औषधिय पौधों का वृक्षारोपण (Medicinal Plantation) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	-	-	73,79,188.00
			Total	2,42,10,628.00

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ भिजवाये। तथा आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं किया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2023-24/8858-59
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक 18/8/23

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जावे।

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर

विषय:- Diversion of 15.8321 ha. Protected Forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan)" in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-180 Common Point Rajasthan State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District - Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/Trans/144853/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का पत्रांक 8बी/राज/018/2023-JPR दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाये, साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

२०

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 7113-16

दिनांक 11-08-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें:-

1. उप वन संरक्षक, सीकर/जयपुर (उत्तर)/अलवर
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लॉट नम्बर-339, शांति कुँज स्कीम, अलवर, राजस्थान

संलग्न:-उक्तानुसार।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज.) - 301001

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक 3024

दिनांक : 22/08/23

गणक पत्र

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/144853/2021

Construction of 765 KV D/C Sikar-II-Aligarh transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Raj.) in Rajasthan portion AP-01 to AP-180 common point Rajasthan state Boundary. Total route length 174.350 km की प्रथम स्वीकृति उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8बी/राज.018/2023-जेपीआर दिनांक 10.08.2023 से जारी हो चुकी है। प्रथम स्वीकृति की पालना हेतु भारत सरकार के उक्त पत्रांक के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से नियमानुसार राशि वसूल की जानी है।

क्र.सं.	शर्त	गणना	कुल राशि
1	शर्त (ए) संख्या 01 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि	17 है0 X Rs.1,82,875/-	31,08,875/-
2	शर्त (ए) संख्या 02 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 04.3215 है0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	04.3215 है0 X Rs.9,57,780/-	41,39,046.27/-
3	विशेष शर्त (1) के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के कारण 0.15 है0 क्षेत्र की एन.पी.वी. के रूप में वसूल की जाने वाली राशि (143667 का 20 प्रतिशत)	0.15 है0 X Rs.9,57,780/-	28,733/-
4	शर्त (बी) संख्या 04 के अनुसार वन भूमि पर स्थल 49 पेडों के (यूजर एजेंसी के खर्च पर) पातन हेतु राशि	-	20,000/-
5	Special Condition : Transmission Line के नीचे प्रत्यावर्तन प्रस्तावित क्षेत्र पर छोटी Height के औषधीय पौधों का वृक्षारोपण से संबंधित राशि	4.3215 है0 X Rs.6,81,876.35/-	29,46,727/-
		Total	Rs. 1,02,43,381.27/-

सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार राशि 31,08,875/- + 41,39,046.27/- + 28,733/- + 29,46,727/- = Rs. 1,02,23,381.27/- रुपये कैम्पा फण्ड खाता संख्या 520101263743681 यूनियन बैंक सी.जे.ओ.ए कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में जमा कराकर प्राप्ती रसीद इस कार्यालय को भिजवायें एवं प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थित वनस्पति के Rs. 20,000/- रुपये का डी.डी उप वन संरक्षक, अलवर के नाम भिजवायें।

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर